असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

09 नवम्बर, 2023

सप्तदश विधान सभा — वृहस्पतिवार, तिथि 09 नवम्बर, 2023 ई0
दशम सत्र — 18 कार्तिक, 1945 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

माननीय सदस्यगण, आप ही लोगों का प्रश्नकाल है, इसलिए प्रश्न काल को बाधित नहीं करें । आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

प्रश्न काल को बाधित नहीं करें, आपलोग अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल को बाधित करने की कोशिश की जा रही है ।

अध्यक्ष : अब अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे । माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-16 (श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, क्षेत्र सं0-221,नवीनगर)

(लिखित उत्तर)

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : 1- आंशिक स्वीकारात्मक है । वर्तमान में बिहार राज्य में 200 कोल्ड स्टोरेज कार्यरत है, जिसकी कुल क्षमता 1205085 एम0टी0 हैं ।

2- आंशिक स्वीकारात्मक है । 12 (बारह) जिलों में कोल्ड स्टोरेज नहीं है । कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हेतु कृषक/ कृषक समूह/उद्यमियों/ एफ0पी0ओ0/एफ0पी0सी0 को सहायतानुदान उपलब्ध कराने के लिए नई योजना प्रक्रियाधीन है ।

3- तीसरे कृषि रोड मैप अवधि के दौरान कुल 7 नये कोल्ड स्टोरेज का निर्माण/क्षमता वृद्धि की स्वीकृति दी गई है तथा कार्यरत है, जिनकी कुल क्षमता-21896.135 एम0टी0 हैं । कृषि विभाग द्वारा कोल्ड स्टोरेज एवं भण्डारण गृह का निर्माण नहीं किया जाता है ।

टर्न-1/आजाद/09.11.2023

मखाना भण्डारण का निर्माण यदि कोई मखाना उत्पादक कृषक कराना चाहते है तो मखाना विकास योजनान्तर्गत 5 मैट्रिक टन क्षमता के मखाना भण्डारण गृह के निर्माण पर परियोजना लागत मूल्य 10 लाख रूपये पर 75 प्रतिशत अर्थात 7.5 लाख रूपये सहायतानुदान दिये जाने का प्रावधान है ।

प्याज भण्डारण संरचना का निर्माण यदि कोई प्याज उत्पादक कृषक कराना चाहते हैं तो सब्जी विकास योजनान्तर्गत 50 मैट्रिक क्षमता की परियोजना लागत 6 लाख रूपये पर 75 प्रतिशत अर्थात 4.5 लाख रूपये सहायतानुदान दिये जाने का प्रावधान है ।

कोल्ड स्टोरेज का निर्माण यदि कोई निवेशक/उद्यमी/कृषक/कृषक समूह कराना चाहते है तो उन्हें राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजनान्तर्गत क्रेडिट लिंक्ड बैक इण्डेड सब्सिडी के तहत दो प्रकार के कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हेतु निम्न प्रकार से सहायतानुदान देने का प्रावधान है :-

1- कोल्ड स्टोरेज इकाई टाइप-1(एकल तापमान क्षेत्र) सहायतानुदान - परियोजना लागत मूल्य 8,000 प्रति मैट्रिक टन अधिकतम 5000 मैट्रिक टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज निर्माण हेतु कुल लागत 400 लाख (चार करोड़) का एक व्यक्ति को 35 प्रतिशत अर्थात 140 लाख (एक करोड़ चालीस लाख) रूपये मात्र सहायतानुदान दिये जाने का प्रावधान है ।

2- कोल्ड स्टोरेज इकाई टाइप-2 (मल्टी चैम्बर) सहायतानुदान- परियोजना लागत मूल्य 10,000 प्रति मैट्रिक टन अधिकतम 5000 मैट्रिक टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज निर्माण हेतु कुल लागत 500 लाख (पांच करोड़) का एक व्यक्ति को 35 प्रतिशत अर्थात 175 लाख (एक करोड़ पचहतर लाख) मात्र सहायतानुदान दिये जाने का प्रावधान है ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है, आप पूरक प्रश्न पूछिए ।

(व्यवधान जारी)

आपलोग अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिहार के किसानों के हित का सवाल है । खासकर के पूरे बिहार के अन्दर में कोल्ड स्टोरेज की स्थिति है, उसके संबंध में मेरा पूरक यह है कि जो कोल्ड स्टोरेज है, जो चालू कोल्ड स्टोरेज है ....

अध्यक्ष : आप अपने स्थान पर जाकर के जो कहना है, कहिए ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : महोदय, बहुत ज्यादा बंदी के कगार पर जा रहा है, किसान को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है । जो किसान खेती करते हैं, जो उन लोगों की लागत लगती है, जब ये किसान कोल्ड स्टोरेज में जाते हैं और अपने फसल को रखते हैं और उसके अनुरूप उन लोगों को दाम नहीं मिल पाता है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूरक पूछिए ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : महोदय, मेरा पूरक इसमें यह है कि जो कोल्ड स्टोरेज है, इसको कृषि फीडर से जोड़ दिया जाय, जो अभी इन्डस्ट्रीयल फीडर से जोड़ा हुआ है । बहुत ज्यादा बिल आने के चलते कोल्ड स्टोरेज बंद हो रहे हैं ।

अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय मंत्री कृषि विभाग ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण, आपलोग स्थान ग्रहण कीजिए न ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता बिल्कुल सही है। किसान खेती करता है और अपना जो आलू हो, प्याज हो, जो कुछ भी हो, ये जब कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं तो बिहार का जो कोल्ड स्टोरेज हैं, वे निश्चित तौर पर किसानों को सामान रखना महंगा पड़ता है । हम भी चिन्तित हैं महोदय कि बिहार में कोल्ड स्टोरेज को बढ़ावा मिले और जो किसान अपना सामान रखता है, उसको किराया उचित लगे । माननीय सदस्य की चिन्ता जो है, उसकी चिन्ता हमें भी है । हमलोग प्रयास कर रहे हैं ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : अध्यक्ष महोदय, जवाब में यह दिया गया है कि 12 जिलों में कोल्ड स्टोरेज नहीं है । सरकार क्या यह मंशा रखती है कि उन 12 जिलों में किसानों को देखते हुए क्या उन 12 जिलों में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कब तक करायेगी ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कृषि विभाग । हालांकि माननीय सदस्य श्री डब्लू सिंह, माननीय कृषि मंत्री जी ने विशेष तरीके से प्रश्नों का जवाब दिया है ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, मैंने पहले भी कहा कि माननीय सदस्य की चिन्ता जो है, वही चिन्ता हमारे विभाग को भी है और माननीय सदस्य को मैं जरूर भरोसा दिलाता हूँ कि आने वाले समय में जो कृषि से संबंधित जो किसान अपना ऊपजा हुआ अनाज, फल, सब्जी रखते हैं, उसपर सरकार जरूर विचार करेगी कि उनको कृषि फीडर से जोड़ा जाय ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : धन्यवाद ।

(व्यवधान जारी)

अल्पसूचित प्रश्न सं0–17 (श्री संजय सरावगी,क्षेत्र सं0–83,दरभंगा)

(प्रश्न पूछा नहीं गया)

अल्पसूचित प्रश्न सं0–18 (श्री पवन कुमार जायसवाल,क्षेत्र सं0–21,ढाका)

(प्रश्न पूछा नहीं गया)

अल्पसूचित प्रश्न सं0–19 (श्री प्रेम कुमार,क्षेत्र सं0–230,गया टाऊन)

(प्रश्न पूछा नहीं गया)

अल्पसूचित प्रश्न सं0–20 (श्री प्रेम कुमार,क्षेत्र सं0–230,गया टाऊन)

(प्रश्न पूछा नहीं गया)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री भाई वीरेन्द्र ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0–21 (श्री भाई वीरेन्द्र,क्षेत्र सं0–187,मनेर)

(लिखित उत्तर)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : 1. आंशिक स्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि पटना नगर निगम के कुल 75 वार्डों से प्रतिदिन लगभग 950 टन से 1000 टन ठोस अपशिष्ट का उत्सर्जन होता है, जिसे रामाचक बैरिया स्थित डंपिंग यार्ड पर भेजा जाता है । उक्त यार्ड में वर्ष 2020–21 तक मौजूद कुल दसल लाख सातर हजार छः सौ तिहत्तर घनमीटर Legacy Waste का Scientific तरीके से Bio-Mining/Bio-Remediation and Reclamation के द्वारा कचरे का processing तीन एजेंसियों–NACOF, C&D Transport और Pathya द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 60 प्रतिशत कार्य किया जा चुका है । यह कार्य जनवरी, 2022 में प्रारंभ किया गया था, लेकिन मॉनसून एवं 15वीं वित्त की संभावित राशि प्राप्त नहीं होने के कारण जुलाई, 2022 से कार्य बंद हो गया था परन्तु अक्टूबर, 2023 से यह कार्य पुनः प्रारंभ हो गया है ।

वर्ष 2021–22 तथा 2022–23 के कचरे के Bio-Mining/Bio-Remediation हेतु निविदा का प्रकाशन किया गया है । निविदा की प्रक्रिया खत्म होते ही उक्त कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा ।

उक्त यार्ड पर Segregated Dry Waste के लिए करीब 400 TPD क्षमता वाले Material Recovery Facility (MRF) संचालित है तथा

Wet Waste के प्रसंस्करण का कार्य 120 Compost Pits में किया जा रहा है।

प्रदूषण का स्तर ठीक रखने के लिए वन विभाग द्वारा हरित पट्टी के निर्माण का कार्य किया गया है । इसके तहत 5000 से अधिक पौधारोपण का कार्य किया गया है । आग की घटना पर नियंत्रण पाने के लिए Water Hydrant स्थापित किया गया है । साथ ही उक्त यार्ड पर आग की घटना पर नियंत्रण पाने हेतु अग्निशमन विभाग द्वारा अग्निशमन वाहन एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति हेतु फायर एक्शन से संबंधित SOP बनाया गया है ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के जवाब में .....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : एक मिनट । मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये सरकारी सम्पत्ति है, इस सम्पत्ति को आप तोड़ना चाहेंगे, मैं चाहूँगा कि इन लोगों का नाम नोट कराईए और नियमानुसार इन लोगों के ऊपर हम कार्रवाई करना चाहते हैं ।

आप अपने जगह पर जाईए, नहीं तो हम कार्रवाई करें ? आप अपनी जगह पर जाईए, आप अपने स्थान पर जाईए न । सदन चलाना चाहते हैं तो आप अपना जगह लीजिए ।

जो लोग कुर्सी पीट रहे हैं, जो लोग सरकारी सम्पत्ति को बर्बाद कर रहे हैं, आपके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई निश्चित करेंगे, इन लोगों का नाम नोट कीजिए ।

अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

.....

टर्न-2/शंभु/09.11.23

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । इस राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के जन्मदिन पर मैं अपनी ओर से और पूरे सदन की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ । अपने काम और व्यवहार से ये राज्य, देश एवं समाज की तरक्की में हर दिन एक नयी इबारत लिखें । इस शुभ अवसर पर मैं उनके उज्ज्वल भविष्य एवं दीर्घायु होने की मंगल कामना करता हूँ ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,उप मुख्यमंत्री : अगर अनुमति हो तो हम आप सब लोगों का धन्यवाद प्रकट करना चाहेंगे ।

अध्यक्ष : अनुमति है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, सभी विपक्ष के हमारे साथी सभी अभिभावक, सत्तापक्ष में जितने हमारे साथी हैं हम सब लोगों का संबंध कहीं न कहीं पहले से ही जुड़ा हुआ है और आपलोगों का आशीर्वाद समर्थन और आप लोगों ने बधाई दिया इसके लिए हम आप सब लोगों के आभारी ही नहीं बल्कि उम्मीद करेंगे कि आप सब लोग जो हैं मेरे गुरू के तौर पर कभी गलत काम हो तो हमको सही दिशा दिखाने का जरूर काम करियेगा और सब लोगों में अच्छा गुण होता है तो हमारी कोशिश होगी कि सबकी अच्छाई के गुणों से हम सीखने का काम करें और कभी भूलवश कोई गलती भी हुई होगी तो उसके लिए भी माफी आपलोगों से बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री कुमार सर्वजीत,मंत्री : महोदय, जो बिहार के डिप्टी सी0एम0 हैं एक नौजवान हैं और बिहार के करोड़ों नौजवान इनकी तरफ बहुत आशा भरी निगाहों से देखते हैं और ये ऐसे उप मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में करोड़ों नौजवानों को इन्होंने उनके माँ पिता का एक सपना जो था उसको पूरा किया है और यहां पर पूरे बिहार की जो आवाज होती है जनता का उसके प्रतिनिधि बैठे हैं । इसलिए हम तमाम वैसे जनप्रतिनिधि जिनको यहां तक जनता भेजती है नौजवानों की तरफ से, बिहार की पूरी आवाम की तरफ से, सभी जाति धर्मों की तरफ से जन्मदिन की बहुत बधाई ।

अध्यक्ष : पूरे राष्ट्र के नौजवान इनकी तरफ देख रहे हैं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : महोदय, हम तो सिर्फ यही कहेंगे- हम भी बधाई में ही कुछ जोड़ रहे हैं नन्दकिशोर बाबू की बात में- महोदय, हम सिर्फ सदन के संज्ञान में जो नन्दकिशोर बाबू ने कहा और जो उप मुख्यमंत्री जी ने कहा हम उसके बीच के अंतर को मिटाना चाहते हैं । इन्होंने कहा कि अगर हमसे कुछ गड़बड़ी हो या लगे

कि हम कुछ गलत कह रहे हैं तो सारे अभिभावक बतावेंगे और हम अपने को सुधार लेंगे । इसलिए नन्दकिशोर बाबू ने जो कहा ये दण्ड देने तक उसकी आवश्यकता ही नहीं है ।

अध्यक्ष : अब विधायी कार्य लिये जायेंगे ।

बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2023

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ । अब विचार का प्रस्ताव, प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा । क्या माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार, अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार : जी मूव करूँगा । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2023 के सिद्धांत पर विमर्श हो ।''

महोदय, ये जो विधेयक माननीय मंत्री महोदय लेकर आये हैं । बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2023 के सिद्धांत पर विचार हो । महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप जो संशोधन कर रहे हैं इससे अवगत है कि बिहार सचिवालय सेवा के तहत इसके कर्मियों के मनोबल बढ़ाने हेतु नाम परिवर्तन की आवश्यकता है । इसको सहायक प्रशाखा पदाधिकारी किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन निम्नवर्गीय लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक सहित अन्य कर्मियों के

नाम में भी बदलाव आवश्यक है । महोदय, मैंने इसी कारण से सिद्धांत पर विमर्श हेतु संशोधन दिया है । आप इसके सिद्धांत पर विमर्श कर और सचिवालय सहित इसकी सेवाओं में कार्यरत लोगों की आपत्ति प्राप्त कर तब इसका निर्णय लें । धरफर में कोई निर्णय से गड़बड़ा जाता है । महोदय, मेरा आपसे आग्रह होगा कि इसके सिद्धांत पर एक नियम तय करके समय सीमा बनाकर और इसके सिद्धांत में जो कर्मी हैं- एक प्रकाशित किया जाय कि जो कर्मी हैं उनका क्या-क्या विचार है और वह विचार जब सदन में आ जायेगा तब उसपर विमर्श कर कानून बनायेंगे । यही मेरा आपसे आग्रह है ।

अध्यक्ष : जनमत जानने का प्रस्ताव । माननीय सदस्य श्री जनक सिंह द्वारा विधेयक के जनमत जानने हेतु परिचालित कराने प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री जनक सिंह, अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री जनक सिंह : जी हाँ । मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2023 दिनांक 29 फरवरी, 2024 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो । ''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है क्योंकि यह विधेयक जो लाया गया है यह केन्द्रीय सचिवालय के अनुरूप लाया गया है । केन्द्रीय सचिवालय की जो सेवा शर्तें हैं वह यहां भी लागू है, परन्तु इसके उद्देश्य एवं हेतु में कहीं भी उसका उल्लेख नहीं है । इसलिए इसे जनमत जानने हेतु भेजा जाय और इसपर प्राप्त मतों का समावेश किया जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2023 दिनांक 29 फरवरी, 2024 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूँ । खंड-2 में कोई संशोधन नहीं है ।

टर्न-3/पुलकित/09.11.2023

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2023 स्वीकृत हो ।''

महोदय, आप देखेंगे तो हम अपनी बात कहेंगे ।

अध्यक्ष : कहा जाए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, यह एक आवश्यक....

अध्यक्ष : मैं आपको भी देखता हूँ और इधर भी देखता हूँ ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इधर भी देखिए और उधर भी देखिए तब तो बात बराबर हो लेकिन आप उधर ज्यादा देखकर डंडी मारते हैं...

अध्यक्ष : दोनों तरफ देखते हैं लेकिन जो समुचित होता है वही आसन करता है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : लेकिन आप उधर ज्यादा देखकर डंडी न मार देते हैं ।

अध्यक्ष : डंडी नहीं मारते हैं । मैं बहुत ज्यादा गंभीरता से देखता हूँ कि आप बड़े गंभीर तरीके से सवालों के जवाब भी और अपनी बात को ठीक तरह से रखते हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वही गंभीरता जब आप देखते हैं तब आती है । आप नहीं देखेंगे तो गंभीरता कहां से आयेगी ।

अध्यक्ष : मैं बराबर देखते रहना चाहता हूँ ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इस विधेयक में जो मामला है कि यह एक संवर्ग सहायकों का है । सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि अब धीरे-धीरे सहायक नाम से संवर्ग लगभग, मतलब हटा दिया गया है और अभी जनक जी ने ठीक ही कहा है कि केन्द्र सरकार ने भी जो सहायक नाम है इस नाम को हटाकर इनको सहायक प्रशाखा पदाधिकारी मतलब अधिकारी कर दिया । महोदय, प्रमोद जी ने जो कहा शायद वे इसकी विषय-वस्तु ठीक से देखे नहीं । अगर कोई दूसरा संवर्ग है तो उसको भी कर दीजिए इसलिए इसको जनमत में क्यों परिचालित कर देंगे । इसको जनमत में या किसी दूसरी चीज के लिए इसको तो परिचालित करने की आवश्यकता नहीं है और जो जनक जी ने भी कहा है कि केन्द्र सरकार के अनुरूप बिहार सरकार अपने कर्मियों को, अधिकारियों को जो कुछ देती है वह एक अलग चीज है और उसी अनुरूप केन्द्र सरकार के मानकों के अनुरूप ही बिहार सरकार यह काम कर रही है और सबसे बड़ी बात है कि आप सबलोग अवगत होंगे कि इस संवर्ग के सभी कर्मी यह मांग पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं । इसलिए महोदय, यह कर्मियों के हित में है और उनका मनोबल भी बढ़ेगा । ये पहले सिर्फ सहायक कहलाते थे अब सहायक प्रशाखा पदाधिकारी कहलायेंगे । स्वाभाविक रूप से भी एक नाम से भी थोड़ी संतुष्टी होती है इसलिए हम समझते हैं कि इसमें सब लोगों की सहमति होनी चाहिए । मैं सदन से अपील करता हूँ कि इस संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2023 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2023 स्वीकृत हुआ ।

बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वाणिज्य कर विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

<u>विचार का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री जनक सिंह द्वारा विधेयक पर जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री जनक सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री जनक सिंह : जी हां ।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 दिनांक 29 फरवरी, 2024 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 दिनांक 29 फरवरी, 2024 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडश: लेता हूँ । खंड-2 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री राणा रणधीर जी अपना संशोधन मूव करेंगे ।

श्री राणा रणधीर : महोदय, मूव करेंगे ।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-2 के उपखंड (ख) में प्रस्तावित संशोधन की कंडिका (vi) के बाद एक नया कंडिका (vii) निम्न रूप में जोड़ा जाय - ''(vii) ज्ञात अज्ञात अन्य ऑफलाईन धनीय गेम खेलना ।''

महोदय, इस विधेयक में संशोधन देने का मेरा उद्देश्य यही है कि सभी

प्रकार के जो गेम हैं उसकी जानकारी किसी को नहीं है । यह गेम ऑनलाइन के अलावा अब ऑफलाइन भी चलता है । जिस कैटेगरी का गेम सार्वजनिक है उसके बारे में सरकार ने चिंता की है । मसलन, दांव लगाना, कैसिनो, द्यूतक्रीड़ा, घुड़दौड़, लॉटरी या ऑनलाईन धनीय गेम खेलना । इसकी चर्चा इसमें है लेकिन जिस कैटेगरी का गेम जो उल्लेखित इसमें नहीं है और हम सब जानते हैं कि अगर जो ऑफलाईन गेम बहुत तरह के चलते हैं जुआ सहित अन्य प्रकार के धनीय गेम के अड्डे समाज में हैं । अगर इसकी जानकारी नहीं होगी ज्ञात या अज्ञात जितने तरह के भी गेम हों इसको शामिल करने का प्रस्ताव मैंने दिया है । ताकि उस पर एक टैक्स भी सरकार लगा पायेगी और ऐसे लोगों को हम रोक भी पायेंगे उनके अंदर एक भय और हत्तोसाह का वातावरण होगा और यह तभी संभव होगा जब यह संशोधन (vi) के बाद (vii) ज्ञात अज्ञात अन्य ऑफलाईन धनीय गेम खेलना भी इस संशोधन में जोड़ा जाए, यह मेरा आग्रह और निवेदन है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर खड़ा हूँ । जी0एस0टी0 काउंसिल के अध्यक्ष भारत सरकार के माननीय वित्त मंत्री जी है और जी0एस0टी0 काउंसिल के द्वारा यह संशोधित हुआ है और उसमें इन्हीं की सरकार है इन्हें के वित्त मंत्री है और राज्य की असेम्बली से इसको अनुमोदित होना है । दुर्भाग्य है कि क्या विधायिका की स्थिति है कि बी0जे0पी0 के लोग ही संशोधन ला रहे हैं यह दुर्भाग्य की स्थिति है ।

श्री राणा रणधीर : महोदय, हम तो इसके पक्ष में है । आप भेज दीजिए, हमने तब भी समर्थन किया था आज भी समर्थन में है । विधायिका तो संशोधन के लिए होती ही है, विचार के लिए विधायिका होती है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : यह अज्ञानता का प्रतीक है । जी0एस0टी0 काउंसिल में सभी दल के लोग है, सर्वसम्मत से जी0एस0टी0 पारित होती है । एक तरफ नारा लगायेंगे जी0एस0टी0 के बाद 5वीं अर्थव्यवस्था और दूसरी तरफ संशोधन भी लायेंगे, उसमें सलाह भी देंगे । जी0एस0टी0 काउंसिल में पूरे डिस्कसन के बाद यह पारित हुआ, यह केवल औपचारिकता है विधान मंडल से इसको स्वीकृत कराने की.

श्री राणा रणधीर : सर, उसका विरोध नहीं है, प्रस्ताव है । 5वीं अर्थव्यवस्था से हम तीसरे और पहले पर आयेंगे ।

अध्यक्ष : श्री राणा रणधीर बाबू बैठा जाइए ।

श्री राणा रणधीर : ठीक है, उन्हीं से सीखा है इसलिए सवाल का जवाब तो होगा ही क्योंकि जब उन्होंने विषय रखा है ।

टर्न-4/अभिनीत/09.11.2023

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-2 के उपखंड (ख) में प्रस्तावित संशोधन की कंडिका (vi) के बाद एक नया कंडिका (vii) निम्न रूप में जोड़ा जाय:-

''(vii) ज्ञात अज्ञात अन्य ऑफलाईन धनीय गेम खेलना ।''

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-2 विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-3, 4, 5 एवं 6 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-3 ,4, 5 एवं 6 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-3, 4, 5 एवं 6 इस विधयेक के अंग बने ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधयेक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 स्वीकृत हो ।''

महोदय, इसको स्वीकृत होना कई मायनों में लाजमी है । इसलिए कि, पहली बात तो शायद सदन के सभी माननीय सदस्य अवगत होंगे कि यह संशोधन हमलोग सदन की स्वीकृति के लिए जो पोस्ट फैक्टो कहते हैं लाये हैं । यह पहले से अध्यादेश के माध्यम से 01 अक्टूबर से यह संशोधन लागू हो चुका है । महोदय, बिहार माल और सेवा कर अधिनियम जो है या जिसको शार्ट में हमलोग जीएसटी एक्ट कहते हैं वह बिजेन्द्र बाबू जो बोल रहे थे उसका भी एक परिप्रेक्ष्य है, बैक ग्राउंड है, क्योंकि जिस समय जीएसटी एक्ट बन रहा था उस समय वहां पर वित्त मंत्री अरूण जेटली जी थे और बिहार के मंत्री इस विभाग के बिजेन्द्र बाबू थे, इसलिए ये लगातार उनके संपर्क में रहकर बैठकों पर बैठकें करते-करते अंत में जाकर यह तय हुआ था और इस एक्ट की खासियत यही है कि यह केंद्र सरकार से लेकर इस देश के सभी प्रदेशों की सरकार की सहमति से बनता है । लगभग सभी की सहमति रहती है । कहीं थोड़ा-बहुत कुछ मान लीजिए किन्हीं को एतराज होता है लेकिन तरीका यही है कि सबलोग बैठकर उनके एतराज को दूर करते हैं और फिर सर्वसम्मति से यह पारित होता है । इसलिए बिजेन्द्र बाबू कह रहे थे कि जो इसका तरीका है, जो परिप्रेक्ष्य है इसमें, इस एक्ट के शुरूआती दौर से बिहार से बिजेन्द्र बाबू ही जुड़े थे । इसलिए इन्होंने जो बातें कही हैं, बात सही भी है कि इसको कहा जाता है टेक्निकल टर्म में कि ये जो बिहार में हमलोग स्टेट एक्ट बनाते हैं यह सेंट्रल एक्ट का मिरर इमेज होता है । मतलब जैसे आईना में जो चीज सामने होती है वही सामने दिखती है उस पार, उसी तरीके से जो भारत सरकार कानून बनाती है वह हमलोग बनाते हैं और भारत सरकार में यह पहले से लागू है । मतलब कुछ दिनों पहले से और मुझे सदन को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि यह जो संशोधन है यह प्रस्ताव करने से लेकर अंतिम तक इसको लागू करवाने में हमलोगों ने जबर्दस्त भूमिका निभाई थी । उसका कारण है कि सदन सहमत होगा, केंद्र सरकार भी सहमत है कि टैक्स के माध्यम से, कर के माध्यम से चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो राजस्व बढ़ाना चाहती है, रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है । महोदय, यह सबलोग मानेंगे कि अगर किसी चीज पर टैक्स बढ़ाना है तो जुआ खेलने पर, सट्टेबाजी करने पर, लॉटरी लगाने पर महोदय, इस पर टैक्स

नहीं बढ़ेगा तो किस पर बढ़ेगा और वहां जब कुछ प्रदेश के वित्त मंत्रियों द्वारा खासतौर से दो-तीन प्रदेश गोवा, कर्नाटक, सिक्किम, इन प्रदेशों के मंत्रियों या गोवा के मुख्यमंत्री तो स्वयं थे उनलोगों ने आपत्ति जताई थी कि जहां पर कैसीनों से और बाकी जुअेबाजी, सट्टेबाजी से बहुत उनलोगों को राजस्व आता है, वे लोग आपत्ति कर रहे थे तो वहां हमने बिहार सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए कहा था कि भाई अगर टैक्स बढ़ाना है तो जुअेबाजी, सट्टेबाजी, लॉटरी पर जरूर बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ टैक्स बढ़ाने की ही बात नहीं है । इस कदम में, इस नीति में इसका थोड़ा सामाजिक और नैतिक पक्ष भी है । हमने कहा, सारी मीटिंग में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी अध्यक्षता कर रही थीं । हमने कहा कि बिहार जैसा गरीब प्रदेश तो एक देश को एक मॉडल दिया है, एक मिशाल दिया है कि हम गरीब जरूर हैं लेकिन जहां तक सामाजिकता और नैतिकता की बात है तो हमारे विधान सभा के सारे दलों ने मिलकर महोदय, हमलोगों ने बिहार में पूर्ण नशाबंदी लागू की है । हमने पांच हजार से दस हजार करोड़ रेवेन्यू छोड़ा है, चूंकि वह नैतिकता के हवाले से गांधीजी के सपनों का समाज बनाने में वह सहायक नहीं हो रहा था । हमलोग, बिहार जैसा गरीब प्रदेश, हमने कहा कि हमलोग इतने राजस्व की हानि सह सकते हैं और कर्नाटका, गोवा उनलोगों को कहा कि आपका क्या है लेकिन उन्होंने भी फॉर्मली कहा कि नहीं यह होना चाहिए । यह हो चुका है, यह संशोधन 01 अक्टूबर से लागू है । हमलोग अध्यादेश भी कर चुके थे और अभी आया है और जो राणा रणधीर कह रहे थे वह तो एक वर्ड जो है गैम्बलिंग, जुअेबाजी, वह बहुत ऑल परवेडिंग है, मतलब उसका विस्तार कहीं भी जा सकता है । कोई खेल अगर पैसा लगाकर, स्टेक लगाकर करते हैं वह तो आता ही है । लॉटरी उसी में है, बेटिंग, सट्टेबाजी उसी में है, यह सब उसमें इंक्लूडेड है । जहां भी कुछ दाव या बाजी लगाकर, स्टेक लगाकर या वेगर लगाना जो कहते हैं, बाजी लगाना अगर कुछ ऐसी बात होती है तो महोदय वह इस टैक्स के दायरे में है और इसमें क्या है वह भी हम एक मिनट में बता देते हैं ।

अभी तक ये 18 परसेंट में आते थे इन पर अब 28 परसेंट टैक्स किया जा रहा है और दूसरी बात थी कि जो जुअेबाज, सट्टेबाज लोग थे उनलोगों ने जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, मतलब जहां प्लेटफॉर्म है ऑनलाईन जुआ खेलने का केवल 10 परसेंट वे लोग एक तरह से इंट्री फीस लेते थे और 90 परसेंट पैसा अनटैक्स चला जाता था, बिना टैक्स लगाये हुए । मतलब 10 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन कराकर वे 10 लाख का जुआ खेल लेते थे लेकिन टैक्स 10 हजार पर देते थे । वह भी इसी संशोधन में है कि फुल फेस वैल्यू मतलब जितना पैसा आप जुआ में लगाते हैं उन

सब पर टैक्स लगेगा और 18 परसेंट के बदले 28 परसेंट लगेगा । यह हमलोग लागू भी कर चुके हैं और वही इस विधेयक, जो हमलोग संशोधन लाये हैं वही उसका उद्देश्य है । यह जनहित में है और सबलोगों के हित में है, इसलिए इसे सदन सर्वसम्मति से स्वीकृति दे ।

टर्न-5/हेमन्त/09.11.2023

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, माननीय वित्तमंत्री जी ने, जी0एस0टी0 का जो विधेयक आया है जिसे जी0एस0टी0 काऊंसिल ने पारित किया है उसकी विस्तार से चर्चा की और व्याख्या भी की । हमारे माननीय सदस्य श्री राणा रणधीर जी की भी मंशा इतनी ही थी कि वह बस व्याख्या जानना चाह रहे थे, लेकिन हमारे अभिभावक माननीय ऊर्जा मंत्री श्री बिजेन्द्र बाबू ने जिस प्रकार से अपनी बातें कही उसमें इन्होंने अपनी राजनीतिक दृष्टि देखनी शुरु कर दी । यह उचित नहीं है । हम लोग भी वित्तमंत्री रहे हैं । चार-चार, पांच-पांच ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के मेम्बर रहे हैं और एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के तो हम चेयरमैन भी रहे हैं और ये सारे विषय हमारे समय में भी आये थे । लेकिन इन सारी चीजों पर राजनीतिक दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं है । हमारे अभिभावक हैं, इनका सम्मान करते हैं और सदन के माध्यम से हम इनको प्रणाम भी करते हैं, लेकिन इसे राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, मेरा केवल इतना ही आग्रह है । आप हमारे अभिभावक हैं, हमें संसदीय दृष्टि दीजिए, लेकिन राजनीतिक दृष्टि देने से बचना चाहिए । आप हम सबों के अभिभावक हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति, शांति । माननीय ऊर्जा मंत्री जी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : जी0एस0टी0 काऊंसिल, भारत सरकार भी संसद में जो विधेयक लाती है, वह विधेयक पूरे अखबार में, मीडिया में भी आता है । इसलिए इसको अलग से राज्य में प्रसारित करने की जरूरत नहीं है, केंद्रीय कानून है । केवल राज्य को चूंकि फेडरल स्ट्रक्चर है कि यहां भी यह हो । इसीलिए केवल फॉर्मेलिटी के तौर पर यहां लाया जाता है । इसलिए भाजपा के लोग ही इसमें यह बात करें, तो यह उचित नहीं है, यही मैंने कहा है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय प्रभारी मंत्री ने अनुरोध किया है कि उन्हें दूसरे सदन में जाना है । इसलिए सामान्य प्रशासन से संबंधित दोनों विधेयकों को सदन की सहमति से पहले लिया जाता है ।

''बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) विधेयक, 2023''

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) विधेयक, 2023'' को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

(व्यवधान)

प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, जो लोग यह चाह रहे हैं, अगर सर्वसम्मति कहना चाह रहे हैं, तो सरकार को एतराज नहीं, खुशी है ।

(व्यवधान)

हमें कहां एतराज है ?

अध्यक्ष : अब हो गया, कह तो दिया ही गया है ।

(व्यवधान)

उसको बाद में कहेंगे ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) विधेयक, 2023'' पर विचार हो ।

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के नियम-122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद, श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह एवं श्री प्रेम कुमार का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

अतएव, सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय,....

अध्यक्ष : यह तो सर्वसम्मत विधेयक है ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल यह सर्वसम्मत विधेयक है, परंतु इसके अंदर कुछ भ्रांतियां दिखती हैं उसकी ओर इशारा करके कि आम लोग दिग्भ्रमित न हों इसके लिए इसको और स्पष्ट रूप में आना चाहिए था । महोदय, जहां प्रस्तावना में यह लाया गया है कि भारतीय संविधान में एक संशोधन के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है । यहां उन्होंने स्वीकार किया है, लेकिन जब जातीय कोटि के आधार पर वर्गीकरण किया है, तो यहां फिर अलग से यह लिखा जाना कि खुली कुल कोटि से 35 प्रतिशत अर्थात् उस 10 प्रतिशत को भी आपने जातीय में फिर से समाहित कर लिया, तो इसका क्लेरिफिकेशन जनता के बीच होना चाहिए । हम तो इसके समर्थक हैं । अध्यक्ष महोदय, जहां तक आरक्षण का सवाल है, हम तो चाहते हैं कि जितना आपने दिया है उससे और ज्यादा दीजिए । हमारे माननीय सदस्य श्री नन्द किशोर जी ने भी बताया है । हम अन्य राज्यों में 79 प्रतिशत तक आरक्षण की सीमा को ले गये हैं, इसीलिए हम तो सहमत हैं । लेकिन जनता को यह भ्रांति नहीं हो ।

(व्यवधान)

महोदय, जनता के बीच कोई भ्रम की स्थिति नहीं हो यह मेरा उद्देश्य है ।

अध्यक्ष : हो गया, हो गया । चलिये, आपने तो और आगे बढ़ा दिया ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, और आगे बढ़ाइये, लेकिन यह जो 10 प्रतिशत ई0डब्ल्यू0एस0 का आरक्षण है.....

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड-2 में 9 संशोधन हैं । इस खंड की कंडिका (4)(1)(क) में चार सदस्यों के संशोधन हैं ।

क्या माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद, स0वि0स0 अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, इसमें भी वही विषय है, जो खंड के रूप में मैं लाया हूं ।

(व्यवधान)

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, प्वाइंट ऑफ आर्डर है ।

अध्यक्ष : आपका क्या प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है ?

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, मैं यह कह रहा था कि माननीय सदस्य ने जो सवाल खड़ा किया था वह सवाल बहुत समीचीन है । मैं चाह रहा था कि माननीय मंत्री जी अगर उसको स्पष्ट कर देते, तो विवाद का विषय समाप्त हो जाता और ये प्रस्ताव वापस भी ले सकते हैं । मैं इसलिए कह रहा था माननीय मंत्री महोदय से कि जो संशय उसके अंदर है उस संशय का निराकरण चाहते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, सरकार को कोई एतराज नहीं है, लेकिन सदन की यह सामान्य परंपरा रही है कि बीच में जितने जनमत जानने के लिए या जो दूसरे सिद्धांत वाले प्रस्ताव होते हैं या फिर जो खंडशः संशोधन के प्रस्ताव होते हैं उनका आप निष्पादन कर देते हैं और अंत में जो प्रभारी मंत्री होते हैं वह सभी चीजों पर एकसाथ अपनी राय रखते हैं, इसलिए हमने कहा और जहां तक इसकी बात आप कह रहे हैं वह ठीक है, शुरू में ही हम कह देते हैं हमको कोई दिक्कत नहीं है । महोदय, जो उन्होंने कहा है, बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन जो कन्फ्यूजन या उलझन की जो बात वह कह रहे हैं, बिल्कुल उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है, वह बेबुनियाद है ।

(क्रमशः)

टर्न-6/धिरेन्द्र/09.11.2023

(क्रमशः)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसलिए कि ये संशोधन जो हमलोग कर रहे हैं पहले से, आप नाम में ही देखे होंगे कि बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) जो अधिनियम है, जो एक्ट है, उसमें जो हम संशोधन कर रहे हैं, इस विषय में तो हम उन्हीं की बात कर रहे हैं । आप जो बात कह रहे हैं वह सही कह रहे हैं लेकिन वह बात ही दूसरी है क्योंकि वह अलग एक्ट से, अलग अधिनियम से आच्छादित होता है, वह जो आप कह रहे हैं भारत सरकार का भी अलग अधिनियम है, हमलोगों का भी अलग अधिनियम है, जो 35 आप कह रहे हैं इस अधिनियम से जो हमलोग अभी आपके सामने विचारार्थ है, इस अधिनियम से 65 प्रतिशत ही आरक्षण होगा और जो 10 प्रतिशत की बात आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं आपकी चिंता स्वाभाविक है लेकिन वह निर्मूल है क्योंकि इसलिए कि यह अलग एक्ट है और महोदय, भारत सरकार ने भी अलग अधिनियम से दिया है और हमलोगों ने भी बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए), इसी अधिनियम का ऑब्जेक्टिव या लक्ष्य बताता है, उसी से स्पष्ट है कि जो एक्ट में संशोधन हमलोग अभी कर रहे हैं वह सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण है, उसमें हम संशोधन कर रहे हैं और आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है जो सामान्य कोटि से आते हैं, उनके लिए जो 10 प्रतिशत का आरक्षण है, वह दूसरे अधिनियम से, दूसरे एक्ट से आच्छादित है, इसीलिए हमलोग उसकी चर्चा इसमें नहीं कर रहे हैं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि...

(व्यवधान)

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन को इस आशय के साथ वापस लेता हूँ कि 10 प्रतिशत जो ई॰डब्ल्यू॰एस॰ का आरक्षण है, उसको जारी रखेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-2 के उपखंड-क की कंडिका-4(1)....

(व्यवधान)

आप मूव नहीं कर रहे हैं ?

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापस ले लिया हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति-शांति । विधान सभा के माननीय सदस्यगण, चाहे वह पक्ष के हो या विपक्ष के हो, शांति बनाये रखिये । यह एक ऐतिहासिक दिन रहा है और आज इस बिल को पारित कराने के लिए सदन में आप तमाम लोग बैठे हुए हैं । इसलिए शांति बनाये रखिये ।

खंड-2 में 9 संशोधन हैं । इस खंड की कंडिका-4(1)(क) में चार सदस्यों के संशोधन हैं ।

क्या माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद, स०वि०स० अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, संशोधन वापस ले रहे हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, संशोधन वापस नहीं लिये, वे मूव ही नहीं किये हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य के द्वारा मूव नहीं किया गया ।

क्या माननीय सदस्य श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, स०वि०स० अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मूव नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री जनक सिंह, स०वि०स० अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, मूव नहीं करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी विषय को स्पष्ट कर दिये, जिस विषय से भ्रम बन रहा था तो उसके बाद सभी लोग संशोधन वापस ले लिये और मूव नहीं किये ।

अध्यक्ष : खंड-2 से सभी संशोधन वापस हो गए हैं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।''

सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-3 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-3 इस विधेयक का अंग बने ।''

सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-3 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंग बने ।''

सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

(व्यवधान)

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट...

अध्यक्ष : सर्वजीत बाबू, इसको पढ़ लेने दीजिये ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि

''बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) विधेयक, 2023'' स्वीकृत हो ।

महोदय, मैं इसलिए कहता हूँ...

(व्यवधान)

महोदय, मैं अपनी बात कह देता हूँ । कोई और माननीय सदस्य अपनी बात नहीं न रखना चाहेंगे ?

श्री नन्द किशोर यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं बोलूंगा ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हम तो स्वीकृति के प्रस्ताव को अंत में बोल लेंगे क्योंकि फिर सदस्य बोलेंगे तो फिर हमको जवाब देना होगा ।

अध्यक्ष : क्या नन्दकिशोर बाबू बोलना चाहते हैं ?

श्री नन्द किशोर यादव : अध्यक्ष महोदय, नियमावली को देखा जाय, नियम में प्रावधान है ।

अध्यक्ष : ठीक है । हम जानते हैं कि प्रावधान है ।

श्री नन्द किशोर यादव : अध्यक्ष महोदय, हम स्वीकृति के प्रस्ताव पर कुछ बोलना चाहते हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वही तो हम कह रहे हैं कि वे बोल लेंगे तो अंत में मैं बोल लूंगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आपने अपना प्रस्ताव पुट कर दिया है इसलिए स्थान ग्रहण कीजिये ।

माननीय सदस्य श्री नन्द किशोर बाबू, आप अपनी बात बोलें ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, आज जो संशोधन आया है बिहार...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शांति बनाये रखें । कहने दीजिये, ये क्या कहना चाहते हैं ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) विधेयक, 2023 आया है, उसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर समर्थन करती है । महोदय, केवल आज की बात नहीं है, हम जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारा जो दल है भारतीय जनता पार्टी, वह हमेशा से इस बात की पक्षधर रही है कि जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो किसी कारण से, विसंगतियों के कारण, सामाजिक विसंगतियों के कारण आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो गए, राजनीतिक दृष्टि से पीछे रह गए या फिर सामाजिक कारणों से पीछे रह गए, उन सब को बिना ऊपर उठाये हुए हम देश का विकास नहीं कर सकते हैं, यह हमारी पार्टी की मान्यता रही है और इसीलिये आप गौर...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपलोग शांति बनाये रखें, शोरगुल न मचायें ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, सुनना तो पड़ेगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सुनिये, आप सुनिये । आप बोलिये, आप अपनी बात को जारी रखिये ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, हाउस को ऑर्डर में लाना पड़ेगा । लोगों को सुनने का साहस नहीं है तो वह अलग बात है लेकिन बात तो सुनेंगे न ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप शांति बनाये रखें । माननीय सदस्य, आप अपनी बात को जारी रखें । सदन बिल्कुल ऑर्डर में है ।

टर्न-7/संगीता/09.11.2023

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, मैं आपसे कह रहा था कि हम पहले से भी इस बात के पक्षधर रहे हैं और यही कारण है कि जब-जब इस देश में आरक्षण लागू हुआ

महोदय, उस समय हमारी पार्टी सरकार में शामिल थी, चाहे वह मंडल कमीशन हो...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें, नियम का पालन करें । बिना आसन के इजाजत के कोई नहीं बोल सकता है ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो हम सरकार में शामिल थे और माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान में भी होगा । महोदय, यदि इस राज्य के अंदर जब स्थानीय निकायों के चुनाव में, पंचायतों के चुनाव में जब अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया और एकल पदों पर आरक्षण दिया गया हम उस समय भी सरकार में शामिल थे । महोदय, हमारी जो पहले सरकार थी उस सरकार ने तो अनुसूचित जाति को भी एकल पदों पर आरक्षण नहीं देने का काम किया था महोदय, यह सदन इस बात का भी गवाह है महोदय । मैं कहना चाहता हूं आपसे महोदय, मैं केवल इन बातों की बात नहीं कर रहा हूं मैंने तो प्रत्यक्ष करके दिखाया है...

(व्यवधान)

महोदय...

अध्यक्ष : आप शांति बनाये रखें । सुनिए, सदन के माननीय सदस्य इसको हल्के ढंग से न लेने की कृपा किया जाय, यह बहुत ही ऐतिहासिक है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े ही गंभीरता से इसको रखने का काम किए हैं, इसको आप पारित करने का काम कीजिए, अपने विचार को रखिए ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, केवल इस प्रस्ताव की बात नहीं कर रहा हूं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठिए तो, आप कैसे खड़ा हो गए, बैठिए आप । बिना इजाजत के आप नहीं बोल सकते हैं । आप बोलते हैं तो नियम का पालन आप नहीं कर रहे हैं ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, जब यह आरक्षण का प्रस्ताव आया...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बोलिए, समय सीमा के अंदर ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, जब आप बोलिएगा तो मुझे चुप होना पड़ता है न, मैं चुप हो जाता हूं ।

अध्यक्ष : बोलिए, बोलिए ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, मैं कह रहा था जब यह आरक्षण का प्रस्ताव आया तो हम सबको बड़ी प्रसन्नता हुई इस बात की कि चलो इसको कानूनी दर्जा दिया जा रहा है, कानूनी रूप दिया जा रहा है महोदय...

अध्यक्ष : अपनी बात को रख दिया जाय ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, दो मिनट, दो मिनट । महोदय, आपको यह भी याद होगा कि जब पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का सवाल आया महोदय, किसी पार्टी ने काम नहीं किया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस काम को पूरा किया । और महोदय, केवल एक बात और कहना चाहता हूं, मैं एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा महोदय, बिना इस आरक्षण कानून के ही हमारी पार्टी ने अपने मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में ओ0बी0सी0 के 27 मंत्रियों को स्थान देने का काम किया है महोदय । आज देशभर में 85 सांसद ओ0बी0सी0 के भारतीय जनता पार्टी के हैं महोदय, 365 एम0एल0ए0 भारतीय जनता पार्टी के हैं महोदय...

अध्यक्ष : माननीय नंद किशोर बाबू...

श्री नंद किशोर यादव : एक बार सुन लीजिए न...

अध्यक्ष : आप बहुत अच्छे तरीके से बातों को रख दिए...

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, एक मिनट बोलने दीजिए न, एक मिनट बोलने दीजिए न, इसी पर बोल रहा हूं...

अध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण कर लीजिए ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, विधान परिषद में कोई पॉलिटिकल आरक्षण नहीं है तब भी देश के 65 एम0एल0सी0 को ओ0बी0सी0 कोटे में भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण देने का काम किया । इस कानून के लागू होने के पहले से ही हम ओ0बी0सी0 समुदाय के लिए लगातार काम करते रहे हैं और हमारी सरकार ने जो समाज के कमजोर वर्गों के लिए काम किया है उसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है महोदय, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने भले ही प्रस्ताव आज, जो हमारे विपक्ष में बैठे हैं उनकी ओर से आया होगा लेकिन चूंकि यह प्रस्ताव समाज के हित में है, पिछड़े वर्ग के हित में है, दलित के हित में है, शिड्यूल कास्ट के हित में है इसलिए भारतीय जनता पार्टी...

अध्यक्ष : इस बिल पर क्या कहना है ?

श्री नंद किशोर यादव : इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रस्ताव का पूरा समर्थन करती है...

अध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री नंद किशोर यादव : सर्वसम्मति से समर्थन करती है ।

अध्यक्ष : माननीय कृषि मंत्री ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, मुझे...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप सुनिए, जब एक माननीय मंत्री को मैंने पुकार दिया है तो आप स्थान ग्रहण कर लीजिए । आप बोलिए, मंत्री जी ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कोई मेरे पास शब्द नहीं है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री जी को हमलोग दलित परिवार से आते हैं कैसे बधाई दें । महोदय, जब हमलोग पढ़ते थे तो माननीय लालू जी का अखबार में एक बयान पढ़ा, उस अखबार में उन्होंने लिखा था कि इस दुनिया में...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : देखिए, आप लोग टोका-टोकी करके विषय से विषयांतर हो जाने वाला काम आप करते हैं । ऐसा काम न कीजिए ।

(व्यवधान)

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, अखबार में मैंने पढ़ा था...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सुनिए न कि क्या कह रहे हैं ये ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : इसमें, जिसमें लालू जी ने कहा था महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : लालू जी की बातों को कहना चाहते हैं, क्या उस जमाने में हुआ था...

(व्यवधान)

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : जिसमें लालू जी ने कहा था कि इस धरती पर कोई माई का लाल जन्म नहीं लिया जो दलितों के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर सकता है । आज उनकी वाक्य, माननीय मुख्यमंत्री जी का शब्द इस सदन में मुझे इतना गर्व महसूस करा रहा है कि 'एक व्यक्ति भी, ऐसा कोई नहीं है जो मेरे रिजर्वेशन के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखता हो ।' ये किसने दिया, इतनी शक्ति किसने दिया महोदय, हम तो इस सदन से प्रार्थना करते हैं कि लालू यादव जी को अंबेदकर का दूसरे रूप का उपाधि इस सदन से मिल जाना चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय समाज कल्याण मंत्री ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज हमलोग...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति, शांति ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : इस सदन के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री जी...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति, शांति ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए खड़े हुए हैं, जिस बात की कल्पना बिहार के उन तमाम अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग के लोग वर्षों से बाट जोह रहे थे, आज हम सबों को उन्होंने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर के जो समाज में आगे बढ़ाने के लिए काम किए हैं, उसके लिए हमलोग धन्यवाद देते हैं पूरे बिहार के लोगों के तरफ से लेकिन इस दरम्यान जो घटना घटी है और लाखों-करोड़ों बिहार के लोगों को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायत में आरक्षण हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को, महिलाओं को आरक्षण हो, साइकिल देने का काम हो, महिलाओं को जीविका के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम हो, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का काम हो, स्थानीय निकाय में आरक्षण का सवाल हो और ये तमाम जो काम हुए हैं और जो जातीय गणना हुई है, उसमें जो छवि माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे बिहार में नायक के रूप में उभरा है उस कड़ी में हम आज कहना चाहते हैं...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी...

श्री मदन सहनी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट...

अध्यक्ष : यह कहने की बात नहीं है, यह सर्वविदित है ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : एक मिनट अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : इसीलिए आप स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : एक मिनट अध्यक्ष महोदय, उनकी छवि नायक की उभरी है XXX

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए)

(व्यवधान)

और आज हम कह सकते हैं कि यह समर्पण नहीं, यह अनुसूचित जाति, जनजाति, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण का दायरा बढ़ा है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मैं कहना चाहता हूं, ये जो शब्द कहे हैं...

श्री मदन सहनी, मंत्री : XXX

अध्यक्ष : उसको सभा की कार्यवाही से निकाल दीजिए ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : XXX

अध्यक्ष : ये सभा की कार्यवाही में नहीं आएगा ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री जी...

श्री मदन सहनी, मंत्री : XXX

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री जी, आप स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : XXX

XXX - अंश को आसन के आदेशानुसार विलोपित किया गया ।

टर्न-8/सुरज/09.11.2023

श्री प्रेम कुमार : अध्यक्ष महोदय, आज जो राज्य सरकार के द्वारा...

अध्यक्ष : प्रेम बाबू एकदम संक्षिप्त में ।

श्री प्रेम कुमार : बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) (संशोधन) विधेयक, 2023 का हम समर्थन करते हैं । महोदय, भारतीय जनता पार्टी लगातार आरक्षण के पक्ष में रही है । महोदय, हम याद कराना चाहते हैं आपको 1977 में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की अगुवाई में सरकार बनी थी उस समय का जनसंघ और हमारे स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा वित्त मंत्री हुआ करते थे । उस समय भी हमलोगों ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया था । 2005 में भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से बिहार में परिवर्तन हुआ था और तब भारतीय जनता पार्टी की पहल पर एन0डी0ए0 सरकार ने पंचायती राज में आरक्षण देकर बिहार के पिछड़ों को सम्मानित करने का काम किया था । महोदय...

अध्यक्ष : आपने अपना भाव प्रकट कर दिया इसलिये माननीय सदस्य प्रेम कुमार जी अब स्थान ग्रहण करें ।

श्री प्रेम कुमार : उसी तरह जब-जब हम सरकार में आये हैं अति पिछड़ों की बात किया है, पिछड़ों की बात किया है और स्वर्ण जाति के जो गरीब हैं उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी ने किया है । उस बिल का हम...

अध्यक्ष : अब स्थान ग्रहण कीजिये । माननीय नेता विरोधी दल । दो मिनट का समय है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, नेता सदन और नेता विरोधी दल को समय देंगे...

अध्यक्ष : माननीय नेता विरोधी दल समय को ख्याल में रखते हुये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठिये, आप स्थान ग्रहण कीजिये । सब लोग बैठिये, सुनिये । नेता विरोधी दल को पुकार दिया गया है । इनको सुनिये न...

(व्यवधान)

नेता विरोधी दल बोल रहे हैं...

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, ये...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिये...

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, सत्यदेव राम जी आप स्थान ग्रहण करें । बिना इजाजत न खड़ा हों। आप बैठिये अपनी जगह पर । माननीय नेता विरोधी दल ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप सुनिये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, इस एन0डी0ए0 सरकार में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक गणना का निर्णय लिया गया । इस निर्णय में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साथ थी, आज भी है । महोदय, आरक्षण का इन्होंने मामला लाया इसमें भी हमारा पूरा समर्थन है । महोदय, मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सामाजिक विषमता को मिटाने के लिये, सामाजिक समरसता को लाने के लिये आपने ये गणना करवाया था । महोदय, ये गणना जो हर जाति में गरीब लोग हैं आज 6 हजार रुपया इनकम पाने वाले लोग 34 परसेंट से ऊपर हैं । आज माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ आरक्षण बढ़ाने की बात होती तो मंडल कमीशन में जातीय गणना की जरूरत नहीं पड़ी । आरक्षण जब-जब बढ़ा उसमें गणना की जरूरत नहीं पड़ी और पांच सौ करोड़ खर्च करने की भी, घोटाले का भी अवसर नहीं मिला । महोदय, आज आपने...

(व्यवधान)

अब सुना जाय महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कमजोर हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नेता विरोधी दल को जितनी समझदारी इसमें आ रही है उस बात को वह रख रहे हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, आसन की पवित्रता बनाये रखने की जिम्मेदारी सबकी है । महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आप आरक्षण बढ़ाये भारतीय जनता पार्टी पूरा समर्थन करती है लेकिन जो आपके शैक्षणिक, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं । आज आपने बताया कि मात्र 4 परसेंट के लगभग लोग 50 हजार से ऊपर की आमदनी के लोग हैं । हर जाति में...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये ऐसा न करिये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : जो आर्थिक रूप से मजबूत हुआ वैसे लोग इसका लाभ न उठा लें । एक खास जाति के लोग 15 परसेंट आज नौकरी में प्रवेश कर गया और जिसकी आबादी आधा परसेंट, एक परसेंट, दो परसेंट है वह वंचित रह जाता है । ये सदन....

(व्यवधान)

अब लीजिये महोदय, ये आंकड़ा मुख्यमंत्री जी का ही दिया हुआ है आर्थिक सर्वे में । महोदय, बिल में हमने अपेक्षा रखा था कि ये लायेंगे...

अध्यक्ष : अब आप संक्षिप्त कीजिये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, मैं और पूरा बी0जे0पी0 इस बिल का समर्थन करते हैं । लेकिन आर्थिक, शैक्षणिक जो पिछड़े लोग हैं उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिये । महोदय, आज मैं खुला कहना चाहूंगा कि आज बैठे हुये जो सक्षम लोग हैं उनको इस पर विचारना चाहिये और हमारी तो हमेशा नियत रही है कि गरीबों का उत्थान, कल्याण उसके पक्ष में हम हमेशा खड़े रहे हैं । ये एकतरफा क्रेडिट लेने का, चुनावी राजनीतिक खेल-खेलने का वातावरण नहीं बनाये । महोदय, ये मंडल कमीशन दोहराने वाले लोग हैं...

अध्यक्ष : अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये । माननीय सदस्य, श्री महबूब आलम ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय...

अध्यक्ष : एक मिनट का समय है ।

श्री महबूब आलम : महोदय, आज इस ऐतिहासिक...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति बनाये रखिये महबूब साहब बोल रहे हैं । महबूब साहब की बात को सुन लीजिये एक मिनट में ।

श्री महबूब आलम : आज इस ऐतिहासिक...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : देवेश बाबू स्थान ग्रहण कीजिये, आप बैठिये ।

श्री महबूब आलम : महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिये, आप बैठिये । आप बोलिये महबूब साहब ।

श्री महबूब आलम : मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई हार्दिक दिल से देना चाहता हूं । महोदय, जिस तरह से...

(व्यवधान)

सुनिये तो । महोदय, जिस तरह से आज...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बिना आसन के इजाजत के अगर कोई कुछ बोलता है तो सभा की कार्यवाही में उसे सम्मिलित न किया जाय । बोलिये महबूब साहब ।

श्री महबूब आलम : महोदय, जिस तरह से आज संसदीय कार्य मंत्री जी प्रेम उड़ेल रहे थे प्रतिपक्ष के...

अध्यक्ष : जो बिल है उस पर बोलिये ।

श्री महबूब आलम : महोदय, अगर इजाजत हो तो एक शेर मैं कहना चाहूंगा...

(व्यवधान)

एक शेर मैं कहना चाहूंगा । महोदय...

(व्यवधान)

आपके स्वागत में एक शेर है...

अध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण कीजिये । अखतरूल ईमान साहब एक मिनट का समय है...

श्री महबूब आलम : आरक्षण विरोधी कल वी0पी0 सिंह सरकार को आरक्षण के सवाल पर...

अध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण कीजिये । आपका एक मिनट से ज्यादा हो गया महबूब साहब ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, जातीय आधारित गणना कराकर हुकूमत ने एक अच्छा काम किया है । मैं इसके लिये मुबारकबाद देता हूं और लोकतंत्र का मूल मंत्र ये है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी एस0सी0, एस0टी0, ओ0बी0सी0 की हालत खराब रही है, संख्या बढ़ी है उसका साइज आपने रिजर्वेशन का बढ़ाया है । मैं मुबारकबाद देता हूं लेकिन एक विनती करता हूं कि आज इस तारीखी दिन में वह वंचित समाज जो ओ0बी0सी0 का है इस रिजर्वेशन से उसका उत्थान नहीं होगा । ओ0बी0सी0 का रिजर्वेशन 50 प्रतिशत लाजिमी तौर पर किया जाय, 50 प्रतिशत किया जाय ओ0बी0सी0 का । मैं यही कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : अच्छा स्थान ग्रहण कीजिये । माननीय मुख्यमंत्री जी ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : आज बजट पेश हो गया...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिये । जीतन बाबू हमने पुकार दिया फिर हम आपको अगले दिन मौका देंगे ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : जातीय आधारित...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हम कल आपको समय देंगे । माननीय मुख्यमंत्री जी । अब आप बैठ जाइये, बैठिये, जगह लीजिये ।

(व्यवधान)

आप बैठ जाइये । जब सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े हो जाएं तो हमारा आपका यह धर्म बनता है कि अपना स्थान आप ग्रहण करें । माननीय मुख्यमंत्री जी।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : अगर मेरी बात सुनना चाहेंगे तो हम बोलेंगे...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति बनाये रखिये ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : और नहीं मेरी बात सुनना चाहेंगे तो ये बोल देंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सुनिये न आपलोग ।

टर्न-9/राहुल/09.11.2023

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : ठीक है जवाब इस पक्ष में है तो आप जानते हैं कि यहां उपस्थित 9 पार्टियों की सहमति से जाति आधारित गणना का निर्णय लिया गया और हम सब लोग मिलकर के केन्द्र में भी गये थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर के कहे थे कि इसको कराना चाहिए तो वहां से यह नहीं हुआ और ऐसे ही प्राइवेटली कह दिया गया था जो भी बात थी कि यहां तो अभी संभव नहीं है तो यहां हम लोगों ने किया था फिर मीटिंग करके हम लोगों ने तय कर लिया । अब उसी के आधार पर जाति आधारित गणना की गयी और आप सबको याद है, हमने पिछले दिन भी कह दिया था उसी मीटिंग में हमने कह दिया था कि सिर्फ जाति आधारित गणना नहीं है बल्कि सब लोगों की आर्थिक स्थिति चाहे वह अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, शिड्यूल कास्ट हो कोई भी हो, अति पिछड़ा हो, शिड्यूल ट्राइब हो, हिंदु-मुस्लिम कोई भी हो सबकी आर्थिक स्थिति का हर परिवार का हम लोग जायजा करें और उसके आधार पर हम

लोगों को आगे क्या किया जा सकता है यही सोचकर तो निर्णय लिया गया था और इसीलिए हमने उस दिन बता दिया यहां एक दिन तो जो रिपोर्ट आयी तो तुरंत हमने 9 पार्टियों की मीटिंग में भी सारी बात कह दी और उसके बाद इन लोगों को एतराज था कि ठीक तरह से नहीं हुई तो वह भी किया गया और आज किसलिए ऑब्जेक्ट कर रहे हैं आप ही लोगों की...

(व्यवधान)

मेरी बात पूरी सुन लीजिये न । मेरी पूरी बात नहीं सुनियेगा...

अध्यक्ष : नहीं, नहीं । हो गया, वे आगे भी तो कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : मेरी बात को नहीं सुनियेगा, आप लोगों की कितनी बात हम सुनते हैं आप क्यों ऑब्जेक्ट कर रहे हैं हम क्या बोले उसको सुनियेगा तब न । हम कह रहे हैं कि जिस तरह से हुई सब लोगों की राय से ही न यह बात हो गयी है । जब सब लोगों की राय से यह बात हो गयी है तो हम यही कह रहे हैं कि जब आ गया तो इसके आधार पर अब यह जो निर्णय ले लिया गया, जो उस दिन हम लोगों ने कहा था एक तो आप जानते हैं कि 50 प्रतिशत शुरू से था और उसमें एस0सी0/एस0टी0 को शत प्रतिशत मिला हुआ था शुरू से और बाद में आज से दो साल पहले केन्द्र ने तय किया कि जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके लिए भी 10 परसेंट किया गया था तो हम लोगों तो उसके समर्थन में किये और यहां पर भी लागू हो गया है तो पहले 50 परसेंट और केन्द्र ने जो किया 10 तो 60 परसेंट हो गया । वही जब हम लोगों ने तय किया तो 50 परसेंट की जगह पर हम लोगों ने बढ़ाकर के चूंकि एस0सी0/एस0टी0 की संख्या बढ़ी है तो उनको तो शत प्रतिशत मिलेगा तो वैसी स्थिति में वह 22 हो रहा है तो अब जो 50 है उसमें एस0सी0/एस0टी0 का मात्र 28 बचता है इसलिए हम लोगों ने कहा कि 15 परसेंट और बढ़ा दिया जाय तो इसीलिए उस दिन रखा गया था आप ही लोगों के लिए यह प्रश्न लाया गया है और आप लोगों ने सब कहा कि नहीं ठीक है तो अब तो एकजुट होकर के और सर्वसम्मति से यह पारित होना चाहिए और यह चीज हो जायेगी तो 65 प्रतिशत यह और 10 प्रतिशत तो कुल मिलाकर 75 प्रतिशत तो मतलब 60 में जो 40 बचा हुआ था तो 25 बाकी लोगों को भी अधिकार रहेगा । अब उसके आगे तो हम यही आग्रह करेंगे कि केन्द्र सरकार भी जाति आधारित गणना करा ले और उसके बाद और भी जरूरत पड़े तो 50 की जगह पर हम लोग बिहार में 65 कर रहे हैं और उधर 10 है तो अगर जरूरत पड़े इसको और बढ़ाने की आवश्यकता हो तो बड़ी खुशी की बात होगी...

(व्यवधान)

सुनिये, सुनिये । हम बोल रहे हैं तो आप काहे के लिए बोल रही हैं आपसे तो मेरी ऐसी दोस्ती है, सुन न लीजिये काहे के लिए, बाकी बाहर में जितना बोलना हो, हाउस के अंदर न हम बोल रहे हैं । सुनिये न...

अध्यक्ष : सुनिये, सुनिये । रेणु जी ये बोल रहे हैं सुना जाय ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : हम तो यह कह दिये कि अब सबकी सहमति से एकजुट होकर के यह पारित हो और हम लोग चाहेंगे कि तत्काल इसको लागू कर दें और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जब हम लोग सबकी आर्थिक स्थिति का भी कर ही लिये हैं और उसकी भी रिपोर्ट आ गयी है अगला वही है और उनके विकास के लिए भी हम जो मदद कर रहे हैं आप लोगों को बता दिये हैं कि जिसकी बहुत खराब स्थिति है उसको आगे बढ़ने के लिए हर परिवार को हम लोग 2 लाख रुपये देंगे और अन्य प्रकार से अनेक काम और जो हैं तो जो हम लोग और लोगों को दे रहे थे उससे भी ज्यादा बढ़ाकर के देंगे तो यह सब चर्चा तो पहले कर ही दिये हैं तो यह सब बात की जा रही है और एक बार पारित कर दीजिये इसमें आप जानते हैं कितना लग रहा है ? जो हम लोग पूरा काम करेंगे उसमें ढ़ाई लाख करोड़ से ज्यादा राज्य सरकार की राशि लगेगी तो हम लोगों ने यही कहा है कि पांच साल में पूरा करेंगे, 50-50 लाख अगली बार जो कैबिनेट आयेगा तो उसी में ये सारी बातें मेंशन रहेंगी और उसके बाद हम तो आपसे भी आग्रह करते हैं कि अंदरूनी तौर पर केन्द्र को भी कहिये कि बिहार एक गरीब राज्य है विशेष राज्य का दर्जा अगर इसको मिल जायेगा तो...

(व्यवधान)

बैठो न । क्या बात है आप नहीं साथ थे । हम शुरू से कर रहे थे तो आप साथ नहीं थे । सुनो न, बैठो...

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : 35 वर्ष से याद नहीं आया अब चुनाव के समय याद आया है, नीयत में खोट है...

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : आप भूलिये मत, विशेष राज्य का...

(व्यवधान)

आप काहे बोल रहे हो, यहां पर सब सीनीयर बैठे हुए हैं...

अध्यक्ष : बैठिये, मुख्यमंत्री जी की बात को भी सुनिये ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : आपको तो पार्टी यंगर को मौका दे दी है और ये पुराने जो बैठे हुए हैं इन लोगों को पूछ न लीजिये तो हम तो शुरू से ही कह रहे थे तो...

अध्यक्ष : सदन का मान सही है ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : तो इसी लिए हम तो कहेंगे कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाय तो और ज्यादा सुविधा मिलेगी तो तुरंत बिहार का विकास होगा और सबको लाभ मिल जायेगा, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और हम इसीलिए बार-बार कहते हैं याद करिये...

अध्यक्ष : इसके लिए विजय बाबू को लगना पड़ेगा ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यही कहेंगे कि इतिहास जानिये। सबसे पहले हम लोग तो बिहार में पीछे न हैं, दुनिया में और देश में सबसे आगे कहां शुरू हुआ था यही बिहार से न शुरू हुआ था तो हम लोग पिछड़ गये और आगे गये तो अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जायेगा तो फिर बिहार बहुत आगे बढ़ जायेगा । सबसे पौराणिक स्थल है यह बड़ा बढ़िया होगा तो सब मिलकर चलिये न और लोगों को क्या पता है कोई पुराना इतिहास देखना चाहता है ? पुरानी सब चीज को देख न लीजिये कि सबसे पहले क्या था, कहां रहता था अब पूरे देश को ही नहीं दुनियाभर में कहां-कहां लोग गये तो इसीलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाये बड़ा अच्छा हो लेकिन चलिये वह तो हम लोग मांग करते हैं । अभी राज्य सरकार की तरफ से यह प्रस्ताव रख दिया गया है अब सर्वसम्मति से आज पारित कर दीजिये और इसी पर आगे हम लोग पूरे तौर पर काम शुरू कर देंगे । यही हमारा आग्रह है और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बधाई देता हूं और सब एकजुट होकर के इसको सर्वसम्मति से पारित करिये । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) विधेयक, 2023 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) विधेयक, 2023 स्वीकृत हुआ ।

बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में) आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में) आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में) आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

टर्न-10/यानपति/09.11.2023

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

<u>विचार का प्रस्ताव</u>

प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में) आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122 (1) के तहत माननीय सदस्य श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह एवं श्री प्रेम कुमार का सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जाएगा । इसमें कोई प्रस्ताव मूव नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में) आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-2 इस विधेयक का अंग बने''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-3 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-3 इस विधेयक का अंग बने''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-3 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में) आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 स्वीकृत हो ।''

महोदय, मैं इसलिए अनुरोध करता हूं सदन से कि जैसे अभी उन्होंने सरकारी पदों.

(व्यवधान)

बोलना चाहते हैं कोई, बोलने दीजिए ।

अध्यक्ष : जो पहले हुआ उसी नेचर का यह भी बिल है ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अनुमति हो तो मैं कुछ बोलना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : बोल लीजिए ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, हम सबों का यह सौभाग्य है कि बिहार की प्रतिभाएं, बिहार के विद्यालयों, महाविद्यालयों में पढ़कर आज देश ही नहीं पूरे विदेशों में भी बिहार का डंका बजा रहा है और पूरे देश में बेहतर शिक्षण संस्थाएं भी हैं । बिहार

में भी हम सब एन0डी0ए0 के कालखंड में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और कई विश्वविद्यालय भी खोलने का काम किए थे । अगर बिहार के.....

(व्यवधान)

इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भूल गए । हमलोगों के ही एन0डी0ए0 सरकार में खुला है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य तारकिशोर बाबू, आप अपनी बात रखें ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, हमें प्रसन्नता है कि इस तरह के आरक्षण से बिहार की जो खासकर के ग्रामीण प्रतिभाएं हैं, जो उन्हें एक बहुत बड़ा प्रमोशन मिलेगा और उससे बिहार की प्रतिभाएं अच्छे महाविद्यालयों में, अच्छे शैक्षणिक संस्थानों में पढ़कर राज्य का, देश का नाम रौशन करेंगे और इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, श्री जीतन राम मांझी जी, चूंकि यह भी सेम नेचर का ही बिल है ।

श्री जीतन राम मांझी : अध्यक्ष महोदय, सेम नेचर का तो है ही है लेकिन जो व्यापकता होनी चाहिए वह व्यापकता यहां पर नहीं है । यहां सिर्फ नामांकन में बात आती है, और वह सेवाओं में था तो उसपर कुछ विशेष बातें हम कहना चाहते थे लेकिन खैर, आपका आदेश नहीं हुआ इसलिए नहीं बोले, इसपर आदेश हुआ है, हम बोलते हैं। इसमें कई हैं जिन्हें देखना चाहिए, हम आरक्षण दे दें, अभी सुधार कर दें, चूंकि जनसंख्या की बात आई है । जो अभी गणना की गई है उस गणना पर हमको तो विश्वास नहीं है, वह गणना ठीक से हुआ ही नहीं है, लोग घर पर पहुंचे ही नहीं हैं, टेबल वर्क किया गया है तो इसलिए उसके आधार पर अगर कुछ और करते हैं तो स्थिति वही होगी कि जिसको हक मिलना चाहिए उसको हक नहीं मिलता है, एक बात और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आरक्षण आप दे दीजिए लेकिन जब आरक्षण की बात आई थी, अंबेडकर साहब ने शुरू किया था तो कहा था कि 10 वर्ष में इसकी समीक्षा होनी चाहिए, क्या आजतक बिहार सरकार ने आरक्षण चाहे सेवाओं में हो या नामांकन में हो कभी समीक्षा करने का कष्ट किया है सरकार कि हां कितना अभीतक हमने दिया है, कितना आरक्षण है या नहीं है यह सरकार सोची है । हमको मालूम है हुजूर कि जहांतक गजटेड एंप्लॉयज के आरक्षण की बात आती है और 1971 से रोस्टर नियम लागू है और अबतक 16 प्रतिशत ही सही, होना चाहिए था लेकिन उनका आरक्षण अभी मात्र 3 प्रतिशत है तो 16 प्रतिशत कैसे पूरा किया जाएगा सरकार को यह सोचना चाहिए । उसी प्रकार से यह जो विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की बात की जाती है, आरक्षण आप

बढ़ा दिए सैद्धांतिक रूप में, कौन नहीं चाहेगा कि बढ़े लेकिन धरातल पर क्या है इसके बारे में भी कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए जो सरकार ने आजतक मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया है तो इससे कोई फायदा नहीं होनेवाला है इसलिए महोदय मैं कहना चाहता हूं कि.....

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : महोदय, क्यों मौका दे रहे हैं, हमको बात नहीं समझ में आ रही है । इनको कुछ आईडिया है, इनको मैंने मुख्यमंत्री बना दिया था, इनका क्या है । ऐसे ही बोलते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है ।

अध्यक्ष : हो गया, बैठा जाय ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : हम कह रहे थे कि आप लोगों के साथ ही रहिए, चले आए थे साथ पार्टी में, हमने जानकर कहा कि आप उधर रहिए इसीलिए हम कहेंगे कि, सुन लीजिए, सब समर्थन कर रहे हैं.....

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री जीतन राम मांझी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गलत शब्द बोल रहे हैं ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : सुन लीजिए, बता रहे हैं, आपलोग समर्थन कर रहे हैं और कोई सेंस है यह जो प्रचारित करते हैं.....

(व्यवधान)

बैठिए न, सुनिये, आपलोगों को जब छोड़ दिए थे.....

श्री जीतन राम मांझी : महोदय, गलत बात बोल रहे हैं ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : बैठिए, भूलिए मत, 2013 में जब आपलोगों को छोड़ दिए थे और अकेले थे.....

(व्यवधान)

सुनिए न, कुछ जानते हैं, और हम इनको बना दिए और इसके बाद जितने हमारे पार्टी के लोग थे सब हमको दो ही महीना में कहने लगे कि गड़बड़ हैं, इनको हटाइये । और अंत में हमको बाध्य किया तो फिर हम बन गए थे और कहते रहते हैं कि यह भी मुख्यमंत्री थे । क्या मुख्यमंत्री थे, ये तो मेरी वजह से मुख्यमंत्री बने । आप ऊपरवाले भी जान लें, बिना मतलब के रोज इनको पब्लिश करते हैं । कोई सेंस है इनमें ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी विशेष कृपा हुई है तब न बने हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिए, बैठ जाइये । आपलोग बैठ जाइये ।

टर्न-11/अंजली/09.11.2023

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, आप सुनिये मेरी बात, आप मेरी तरफ देखिए ।

अध्यक्ष : हाँ, आपकी तरफ देख रहे हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, अभी जैसे रिक्तियों में नियुक्ति के लिए...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप सभी माननीय सदस्य बैठ जाइए ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर बैठ गये)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, जैसे रिक्तियों में नियुक्ति के लिए जिस प्रतिशत के आधार पर नियुक्ति करने के लिए सदन ने सर्वसम्मति से स्वीकृति दी है उसी आधार पर यह विधेयक है । शैक्षणिक संस्थानों में जो नामांकन होंगे उसमें आरक्षण भी उसी प्रतिशत के हिसाब से, जैसे नौकरी में आरक्षण दिया गया है, अब शिक्षण संस्थाओं में नामांकन में भी हम उसी अनुपात में आरक्षण का प्रावधान करने जा रहे हैं । महोदय, यही इस विधेयक का लक्ष्य है और चूंकि सदन ने सर्वसम्मति से पिछला विधेयक पारित किया है इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है और आसन से भी उम्मीद है कि इस विधेयक को सदन के समक्ष प्रस्तुत करके, सदन के सभी माननीय सदस्यों की सहमति से इस विधेयक को भी सर्वसम्मति से पारित कराने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार (शैक्षणिक संस्थान में नामांकन में) आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 स्वीकृत हो ।''

सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार (शैक्षणिक संस्थान में नामांकन में) आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

(व्यवधान)

आप स्थान ग्रहण करें । जीतन बाबू, आप स्थान ग्रहण करें । आपको जो कहना था आपने कह दिया । अब आप स्थान ग्रहण कीजिए ।

बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2023

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम, मंत्री : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार हो ।''

(व्यवधान)

विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-122 (1) के तहत माननीय सदस्य श्री जनक सिंह, श्री अखतरूल ईमान एवं श्री अरूण शंकर प्रसाद का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

अतएव विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य, श्री जनक सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

माननीय सदस्य, श्री जनक सिंह जी अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : एक मेरा सुझाव है कि आप ही लोगों के पीछे ये घूम रहे हैं तो आप इनको, आज ये चाहते हैं गवर्नर बनना और जब ये हमलोग के साथ थे तब भी जाकर कुछ कुछ बोलते रहते थे । बना दीजिए गवर्नर इनको । अरे बनना चाहते हैं ये, इनको गवर्नर बनवा दीजिए, आप क्यों नहीं बनाते हैं गवर्नर ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिये न ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : छोड़ो न भाई, हम जानते हैं, बना दीजिए गवर्नर ।

(व्यवधान)

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री केदार प्रसाद गुप्ता, श्री जनक सिंह एवं श्री अरूण शंकर प्रसाद द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री केदार प्रसाद गुप्ता अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : अब यह आगे बढ़ गया है । क्या कहना चाहते हैं ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, हमारा जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता, विपक्ष सामूहिक रूप से सर्वसम्मति व्यक्त किया, एक दलित मुख्यमंत्री को बोलने दिया जाय और मुख्यमंत्रीजी को खुली चुनौती है कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आप दलित और अतिपिछड़ा को बनाइए । हम सब...

(व्यवधान)

(इस अवसर पर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण भी अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये)

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : आप बनाये थे, कौन बनाया ?

अध्यक्ष : आप बैठिये न ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : तो क्यों रोक रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : बोल रहे हैं, कुछ जानते हैं, हम ही न बनाये ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : नहीं, बोलने दीजिए इनको ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार हो ।''

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : आप ले न जाइए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड-2 में दो संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री केदार प्रसाद गुप्ता अपना संशोधन मूव करेंगे ?

क्या माननीय सदस्य श्री जनक सिंह अपना संशोधन मूव करेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि....

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : आप भूल गये, कौन बनाया ? क्यों आये थे कांग्रेस को छोड़कर मेरे पास ? कांग्रेस को छोड़ कर क्यों मेरे पास आये थे ?

श्री जीतन राम मांझी : अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गलत बात बोल रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : हम तो जानते हैं, सुनिये न, हम चाहते हैं कि एक्सपोज हो जायं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ही ने बनाया है यह पूरा बिहार ही नहीं, देश जानता है यह कहने की क्या जरूरत है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

(इस अवसर पर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर बैठ गये)

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2023 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2023 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2023 स्वीकृत हुआ ।

<u>सभा मेज पर कागजात का रखा जाना</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-395 के तहत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2019-2020 एवं 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखता हूं ।

टर्न-12/सत्येन्द्र/09-11-23

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

(व्यवधान)

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन)अधिनियम 1990 की धारा-23(3) के तहत बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) नियमावली, 1993 की प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष: बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम 1990 की धारा-23(3) के तहत बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) नियमावली, 1993 की प्रति सदन पटल पर 14 (चौदह) दिनों तक रखी रहेगी ।

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार अपहीन वनभूमि पुनरूद्धार एवं विकास काराधान अधिनियम, 1992 की धारा-12 के तहत् बनायी गयी बिहार अपहीन वनभूमि पुनरूद्धार एवं विकास काराधान नियमावली, 1992 की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष: अब सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 10 नवम्बर, 2023 के 11 बजे पूर्वा0 तक के लिए स्थगित की जाती है ।

XXX - अंश को आसन के आदेशानुसार विलोपित किया गया ।